न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

प्रकरण संख्या- डी 85 सन-2016
पंजीयन दिनांक - 10/03/2016

- उनवान -

वरदा पिता ओंकार जाति रावत आयु वयस्क निवासी चेनपुरिया तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

---- अपीलान्ट

बनाम

1 भेरूलाल पिता नारायण जाति मीणा आयु वयस्क निवासी आमली खेड़ा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़।

2 चुन्नी लाल पिता सुखा जाति मीणा आयु वयस्क निवासी चेनपुरिया तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ।

3 भूमिधारी तहसीलदार बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी बड़ी सादड़ी बमुकदमा नंबर 13/2015 दिनांक 05-011-2015

उपस्थिति वक्त बहस---छोगा लाल जाट अधिवक्ता अपिलान्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
राजकीय अधिवक्ता - रेस्पोंडेंट संख्या – 3

निर्णय

दिनांक -11/05 / 2023

पत्रावली में मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी ने वाद पत्र क्रमांक 13/2015 अंतर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा चित्तोडिया तहसील बड़ीसादड़ी स्थित वादग्रस्त आराजियात नंबर 187 व 202 कुल रकबा 1.70 है० के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात रेस्पोंडेंट संख्या दो प्रतिवादी के खातेदारी की होकर प्रतिवादी संख्या एक ने जरिए पंजीकृत वहनामा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया। तभी से वह ख़रीदशुदा आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इन आराजियात का नामांतरण खुलवाने हेतु

रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने मना कर दिया जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या एक वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए इस वाद पत्र में दिनांक 05/11/2015 को निर्णय व डिक्री कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

विवादित आराजियात के संबंध में अपीलांट संख्या 2 व अन्य खातेदारों के विरुद्ध एक अन्य ओर वादपत्र प्रकरण संख्या 74/2013 प्रस्तुत हुआ जो लोक अदालत में दिनांक 23/06/2015 को निर्णित होकर डिक्री हुआ जिसमें अपीलान्ट को आराजी नंबर 115/1 का खातेदार घोषित किया गया जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 2 को आराजी नंबर 115/2 का खातेदार घोषित किया गया। इसके पश्चात वाद संख्या 13/ 2015 न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया जबकि यह वाद रेस ज्युडिकाटा से प्रभावित था इसलिए यह अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इस निर्णय से प्रभावित होने के कारण अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं होने से अपीलांट द्वारा अंतर्गत धारा 96 जा० दीवानी का आवेदन अपील के साथ संलग्न किया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं होने से एक प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनी म्याद अधिनियम में शपथ पत्र अलग से पेश किया गया। अपील दिनांक 10 /03/2016 को दर्ज रजिस्टर कर समन जारी किए गए।

2. पत्रावली मे दिनाँक 13/04/2023 को विद्वान अधिवक्ता छोगालाल जाट अपीलान्ट की तरफ से बहस सुनी गयी। दोराने बहस रेस्पोडेन्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। पूर्व में इन्हें बहस के पर्याप्त अवसर दिए जा चुके थे। रेस्पोंडेंट क्रमांक 1 व 2 के लिए बहस का अवसर समाप्त किया गया। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

3. अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि विवादित आराजीयात के संबंध में अपीलांट संख्या 2 व अन्य खातेदारों के विरुद्ध वाद पत्र संख्या 74/2013 प्रस्तुत किया जो लोक अदालत में दिनांक 23/06/2015 को निर्णित हुआ व अपीलान्ट वरदा को आराजी नंबर 115/1 का खातेदार घोषित किया गया जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 2 को आराजी नंबर 115/2 का खातेदार घोषित किया गया। इसके पश्चात वाद संख्या 13/ 2015 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाँक 05/11/2015 को निर्णित किया गया व वादी भेरुलाल के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात की घोषणा की गई जबकि यह वाद res judicata सिद्धांत से प्रभावित होकर चलने योग्य नही था। इसलिए यह निर्णय अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इस निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित होते हैं इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई।

4. राजकीय अधिवक्ता द्वारा कानूनी पक्ष के बारे में कथन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दौराने बहस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

5. अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं होने से आवेदन अंतर्गत धारा 96 जा० दीवानी अपील के साथ संलग्न किया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट को जानकारी नहीं होने से एक प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया गया। दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील में पक्षकार संयोजित किया जाए एवं धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलंब को कंडोन किया जाने का निवेदन किया। आवेदन धारा 96 जा० दीवानी उचित होने से स्वीकार कर अपीलान्ट पक्षकार संयोजित करने का निर्णय किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

6. हमने बहस पर मनन किया और पत्रावली गहनता से अध्ययन किया।

7. पत्रावली के अध्ययन मनन और विश्लेषण से यह स्पष्ट है की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23/06/2015 को विचाराधीन वाद संख्या 74/2013 को जरिए लोक अदालत जरिए राजीनामा निर्णित किया गया। राजीनामा पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजीनामा वादी वरदा व प्रतिवादी हेमा पिता गमेरा प्रतिवादी क्रमांक 2 के मध्य संपादित हुआ। शेष प्रतिवादीगण राजीनामे में मौजूद नहीं थे। लोक अदालत में राजीनामे में समस्त पक्षकारों की सहमति लिया जाना उचित होता है। इस प्रकरण में वादी के पक्ष में वाद निर्णित किया गया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 13/2015 दिनांक 05/11/2015 को निर्णित हुआ। प्रकरण में वादी भेरूलाल पिता नारायण लाल के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की। यहां यह स्पष्ट है कि वाद संख्या 74/2013 में वादी वरदा व प्रतिवादी क्रमांक 1 चुन्नीलाल सहित अन्य 7 प्रतिवादी संयोजित थे जबकि वाद संख्या 13/2015 में वादी भेरू लाल के साथ प्रतिवादी चुन्नीलाल एवं तहसीलदार प्रतिवादी संयोजित थे। वाद संख्या 74/2013 में वादी वरदा के पक्ष में साविक आराजी नंबर 115/1 रकबा 4 बिघा 17 बिस्वा की घोषणा की गई। इस प्रकार वाद संख्या 13/2015 मे वादग्रस्त आराजियात नम्बर 187 व 202 कुल रकबा 1.70 है० की घोषणा वादी भेरू लाल के पक्ष में की गई। वाद संख्या 74/2013 अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जबकि वाद संख्या 13/2015 अंतर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। दोनों वादों में धाराएं, पक्षकारान इमदाद में अंतर पाया गया। अतः res-judicata सिद्धांत से पश्चातवर्ती दावा संख्या 13/2015 निर्णय व डिक्री प्रभावित नहीं होता है। अतः अपील अस्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 13/2015 में दिनांक 5/11/2015 को जारी निर्णय व डिक्री यथावत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11/05/2023 को सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो।

11/05/2023

(गितेश श्री मालवीय आर ए एस)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज०)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गिरीश श्री मालवीय - RAS

अपील सं. 85/2016 /डिक्री

श्री बरदा पिता औंकार रावत निवासी - चेनपुरिया, तहसील - बड़ी सादड़ी, जिला - चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

बनाम

1- श्री भेरूलाल पिता नारायण जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा तहसील डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

2- चुन्नीलाल पिता सुरखा मीणा निवासी चेनपुरिया तहसील बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

3. भूमिधारी, तहसीलदार, बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, बड़ीसादड़ी....... दि. 05/11/2015 ....रा.का.अ. 1955 प्रकरण सं.......13/2015....... अन्तर्गत धारा......88, 209.............. 11/05/2023.. को अपीलान्ट की ओर से निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक... अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री रेस्पो. 1, 2 अनुपस्थित एवं रेस्पो. - 3 - G.A. की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सं. 13/2015 में दिनांक 05/11/2015 को जारी निर्णय व डिक्री यथावत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि......Nil......रुपये हैं, ...Nil......द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे......Nil......द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 11/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

11/05/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

अपील खर्चे :

दिनांक : 11/05/2023

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोंडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

8/8/2